"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2013—आश्विन 3, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-05/2013/वा.क. (आब.)/पांच (69).—भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा पांच के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निदेश देते हैं कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915), जो कि इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है, की धारा 16 एवं 59-क के प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों को निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन लागू होंगे, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

संशोधन

1. धारा 16 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(5) अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक उत्सवों के अवसर पर यथास्थिति "चावल" या "ज्वार" से निर्मित "लांदा" एवं "हंडिया", तथा "महुआ" से निर्मित "हाथ-भट्ठी शराब" के अधिकतम 5 लीटर की मात्रा तक उक्त अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के भीतर घरेलू उपभोग हेतु परिवहन के लिये अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन "पास" की आवश्यकता नहीं होगी."

2. धारा 59-क के खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन यथास्थिति "चावल" या "ज्वार" से निर्मित "लांदा" एवं "हंडिया", और "महुआ" से निर्मित "हाथ-भट्ठी शराब" से संबंधित अपराध जमानतीय होंगे, यदि ऐसा अपराध, अनुसूचित क्षेत्र के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उक्त अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का सदस्य है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-05/2013/वा.क. (आब.)/पांच (69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2013/वा.क. (आब.)/पांच (69), दिनांक 24-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-05/2013/CT (Ex)/V (69).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that the provisions of Section 16 and 59-A of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 11 of 1915) herein after referred as "Act", shall apply, subject to the following modifications to the notified Scheduled Areas of the State of Chhattisgarh which shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

AMENDMENT

1. After sub-section (4) of Section 16 of the Act, the following shall be added, namely :—

"(5) On the occasion of religious festivals of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas, no "pass" shall be required under clause (b) of sub-section (2) of Section 16 of the Act, for the transportation of "landa" and "Handiya" made from "rice" or "millet" as the case may be, and "out-still liquor" made from "mahua" subject to a maximum quantity of 5 litres, for household consumption within the Scheduled area, by the member(s) of the Scheduled Tribe(s) of the said Scheduled Area."

2. After clause (iii) of Section 59-A of the Act, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the offence under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 34, relating to "Landa" and "Handiya" made from "rice" or "millet", as the case may be, and "out-still liquor" made from "Mahua" shall be bailable, if such offence is committed within the Scheduled Area, by a person who is a member of the Scheduled Tribe(s) of the said Scheduled Area".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.